रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11—अप्रैल 17, 2015 (चैत्र 21, 1937)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11—APRIL 17, 2015 (CHAITRA 21, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	251
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	325
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	821
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	319
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	49
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	329
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	251
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	325
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	821
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	319
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	49
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	329
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2015

संकल्प

सं.11034/48/2014-रा.भा.(नीति): आधुनिक ज्ञान/विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिन्दी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी संकल्प सं.।।/12013/2/85-रा.भा.(क.2) दिनांक 30.7.1986, सं. ।।/12013/1/2000-रा.भा.(नी.2) दिनांक 8.8.2005 एवं का.ज्ञापन सं. 11014/12/2013-रा.भा.(प) दिनांक 2.5.2013 (उत्कृष्ट लेखों के लिए) का अधिक्रमण करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 से नई पुरस्कार योजना शुरू की जाती है जिसका नाम "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" है । इसके तहत निम्नलिखित पुरस्कार योजनाएं हैं:-

(क) भारत के नागरिकों को हिन्दी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार ।

(ख) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार ।

(ग) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार ।

(क) भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ।

1. नाम : इस योजना का नाम हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना है ।

2. परिभाषाएं : इस योजना में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

I. ''योजना'' का अभिप्राय है ''तकनीकी/विज्ञान संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग की पुरस्कार योजना ।''

II. 'मौलिक' से अभिप्राय है ''मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई व प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक'' पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों का अनुवाद योजना में शामिल नहीं होगा ।

III. ''पुस्तक'' से आशय प्रकाशित पुस्तक से है ।

IV. ''वर्ष'' से अभिप्राय है: (i) योजना वर्ष अभिप्राय - वित्तीय वर्ष (ii) प्रकाशन वर्ष अभिप्राय - कैलेण्डर वर्ष ।

3. उद्देश्य: केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/ उपक्रमों/बैंकों इत्यादि में सरकारी कामकाज में तकनीकी विषयों पर भी कार्य किया जाता है । ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आती है क्योंकि तकनीकी विषयों पर पुस्तकों की कमी है । ऐसे विषयों पर सरकारी कामकाज को हिन्दी में करते हुए कार्मिकों को कठिनाई आती है क्योंकि वे ज्ञान-विज्ञान के विषयों पर हिन्दी शब्दावली से अनभिज्ञ होते हैं । इसका मुख्य कारण ज्ञान-विज्ञान के विषयों पर हिन्दी में पुस्तकों का कम उपलब्ध होना है । इस क्षेत्र में हिन्दी में पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग यह योजना चला रहा है ।

4. पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)- 2,00,000/- रु. (दो लाख रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

दितीय पुरस्कार (एक)- 1,25,000/- रु. (एक लाख पच्चीस हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

तृतीय पुरस्कार (एक)- 75,000/- रु. (पचहत्तर हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

प्रोत्साहन पुरस्कार (दस)- 10,000/- रु. (दस हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रत्येक को

5. पात्रता:

(1) लेखक भारत का नागरिक होना चाहिए ।

(2) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर लिखी हो सकती है,

उदाहरणार्थ-

I. इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर विज्ञान, भौतिकी,जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष । विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन, मनोविज्ञान इत्यादि

II. समसामयिक विषय- जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण इत्यादि ।

6. सामान्य शर्तें :

(i) प्रविष्टि उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं में से केवल एक योजना के लिए ही भेजी जा सकती है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए ।

(ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।

(iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी । ऊपर विषयक योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।

(iv) योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

(v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए । पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी ।

(vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे ।

(vii) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी । तथापि, सह-लेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है । सह लेखक को पुरस्कार में अनुपातित राशि ही प्रदान की जायेगी ।

(viii) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो ।

(ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

7. प्रविष्टि भेजने की विधि :

(i) प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी ।

(iii) निर्धारित प्रपत्र भरकर प्रविष्ट विभाग द्वारा दी गई अंतिम तिथि तक पहुंच जानी चाहिए ।

(iv) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है ।

8. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया :

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी । समिति में आवश्यकतानुसार सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर-सरकारी, प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों भी शामिल किए जा सकते हैं । जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

क. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग - अध्यक्ष

ख. दो गैर-सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाएंगे - सदस्य

ग. निदेशक/उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग - सदस्य-सचिव

(1) प्रविष्टि भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में नहीं लिए जाएंगे।

(2) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/ विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले ।

(3) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के मानदंड स्वयं निर्धारित करेगी ।

(4) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(5) मूल्यांकन समिति के सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है । समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे ।

(6) मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी अधिकारी होंगे ।

(7) मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा ।

9. पुरस्कार के बारे में घोषणा ओर पुरस्कार वितरण:

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।

(ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

10. सामान्य सूचना:

(i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक/प्रकाशक का कापीराइट बना रहेगा ।

(ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकुलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।

(iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

11. योजना शिथिल करने का अधिकार :

जहां केन्द्र सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुलग्नक

प्रपत्र

भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार - वर्ष .....

1. पुरस्कार योजना का नाम: .....
2. पुस्तक का नाम: .....
3. (i) लेखक/सहलेखक का नाम: .....
   (ii) पूरा पता (पिन कोड सहित): .....
   .....
   .....
   (iii) दूरभाष: ..... फैक्स संख्या: .....
   (iv) मोबाइल फोन नं.: .....
   (v) ई-मेल: .....
4. (i) प्रकाशक का नाम: .....
   (ii) प्रकाशक का पूरा पता: .....
   (iii) प्रकाशन का वर्ष: .....
5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं
   यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें .....
   .....
6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि -
   (i) मैं .....पुत्र/पुत्री श्री .....भारतीय नागरिक हूँ ।
   (ii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।
   (iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं ।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:.....

दिनांक:..... लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर.....

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए ।

(क) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार :

केन्द्रीय सरकार में कार्यरत या सेवानिवृत्त कार्मिकों को हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरु की जाती है जिसके अन्तर्गत पुरस्कार राशि निम्न प्रकार होंगी:-

प्रथम पुरस्कार-	1,00,000/- रु. (एक लाख रुपए)	प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
दितीय पुरस्कार-	75,000/- रु. (पचहत्तर हज़ार रुपए)	प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार-	60,000/- रु. (साठ हजार रुपए)	प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
प्रोत्साहन पुरस्कार-	30,000/- रु. (तीस हजार रुपए)	प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

1. परिभाषाएं : इस योजना में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

   I. ''योजना'' का अभिप्राय है केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ।

   II. ''पुस्तक'' से आशय प्रकाशित पुस्तक से है ।

   III. ''वर्ष'' से अभिप्राय है: (i) योजना वर्ष अभिप्राय - वित्तीय वर्ष (ii) प्रकाशन वर्ष अभिप्राय- कैलेण्डर वर्ष ।

2. उद्देश्य : योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहित करना है ।

3. पात्रता :

   (i) पुस्तक के लेखक केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी हों।

   (ii) लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/पूर्व विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ इस विभाग को भेजें ।

4. सामान्य शर्तें :

   (i) प्रविष्टि उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं में से केवल एक योजना के लिए ही भेजी जा सकती है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए ।

   (ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनुवादित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।

   (iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी । ऊपर विषयक योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।

   (iv) योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

(v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए । पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी ।

(vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे ।

(vii) यदि किसी व्यक्ति को योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी । तथापि, सहलेखक(यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है ।

(viii) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो ।

(ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

5. प्रविष्टि भेजने की विधि :

(i) प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा।

(ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी ।

(iii) निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रविष्टियां विभाग द्वारा दी गई अंतिम तिथि तक पहुंच जानी चाहिए ।

(iv) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है ।

6. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया :

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर उपलब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा । जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

क. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग - अध्यक्ष

ख. दो गैर-सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाएंगे - सदस्य

ग. निदेशक/उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग - सदस्य-सचिव

(i) प्रविष्टि भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में नहीं लिए जाएंगे।

(ii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/ विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले ।

(iii) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के मानदंड स्वयं निर्धारित करेगी । मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

(iv) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा । यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(v) मूल्यांकन समिति के सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है । समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे ।

(vi) मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी अधिकारी होंगे ।

7. पुरस्कार के बारे में घोषणा ओर पुरस्कार वितरण :

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।

(ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

8. सामान्य सूचना :

(i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट अधिकार बना रहेगा ।

(ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकुलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।

(iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

9. योजना शिथिल करने का अधिकार :

जहां केन्द्र सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन योजनाओं के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुलग्नक

प्रपत्र

भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार - वर्ष .....

1. पुरस्कार योजना का नाम: .....
2. पुस्तक का नाम: .....
3. (i) लेखक/सहलेखक का नाम: .....
   (ii) पूरा पता (पिन कोड सहित): .....
   .....
   .....
   (iii) दूरभाष: ..... फैक्स संख्या: .....
   (iv) मोबाइल फोन नं.: .....
   (v) ई-मेल: .....
4. (i) प्रकाशक का नाम: .....
   (ii) प्रकाशक का पूरा पता: .....
   (iii) प्रकाशन का वर्ष: .....
5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है: हां/नहीं
   यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें .....
   .....

6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि -
   (i) मैं .....पुत्र/पुत्री श्री .....भारतीय नागरिक हूँ ।
   (ii) मैं केन्द्र सरकार अधीन कार्यालय ..... में कार्यरत हूँ/से सेवानिवृत्त हूँ। (केवल राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के लिए लागू)
   (iii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।
   (iv) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं ।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:.....

दिनांक:..... लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर.....

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए ।

(ग) केन्द्र सरकार के कार्मिकों को (सेवा निवृत्त सहित) हिन्दी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार।

राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट हिन्दी लेखों के लेखकों हेतु वर्ष 2013-14 में शुरु की गई पुरस्कार योजना का.ज्ञापन सं. 11014/12/2013-रा.भा.(प) दिनांक 2.5.2013 का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 2015-16 से नई पुरस्कार योजना जारी की जाती है । जिसका नाम हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए 'राजभाषा गौरव पुरस्कार" है । योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित राशियों के 6 पुरस्कार दिए जाएगें:-

	हिन्दी भाषी	हिन्दीत्तर भाषी
प्रथम-	20,000/-रु. (बीस हजार रुपए)	25,000/- रु. (पच्चीस हजार रुपए)
दितीय-	18,000/-रु. (अठारह हजार रुपए)	22,000/- रु. (बाईस हजार रुपए)
तृतीय-	15,000/-रु. (पन्द्रह हजार रुपए)	20,000/- रु. (बीस हजार रुपए)

पात्रता:

(**क**) केन्द्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक ।

(**ख**) उक्त लेख विभागीय अथवा किसी भी पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष में प्रकाशित होने चाहिए।

(**ग**) मंत्रालय अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ कार्यालय के कार्मिकों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के लेख वित्तीय वर्ष के आधार पर शामिल कर सकता है ।

(**घ**) हिन्दी भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों का माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो ।

(**ङ**) हिन्दीत्तर भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में स्थित हो ।

(**च**) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वतीय श्रेणी वातानुकुलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी ।

मूल्यांकन प्रक्रिया :

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने स्तर पर तीन-तीन लेखों का चयन करेगा । इस चयन के लिए हिन्दी प्रभारी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा । मंत्रालय/विभाग इन चयनित लेखों को प्रपत्र में विवरण सहित राजभाषा विभाग को भेजेंगे । राजभाषा विभाग मंत्रालयों से प्राप्त लेखों को मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा करवाकर तीन पुरस्कार प्रथम, द्वतीय तथा तृतीय पुरस्कार के लिए चयन करेगा । पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा ।

प्रपत्र

नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	लेख का विषय	संपर्क सूत्र: फोन, मोबाइल, ईमेल आदि

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्पति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पूनम जुनेजा
संयुक्त सचिव

संकल्प

सं.11034/48/2014-रा.भा.(नीति): राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी दिनांक 30.7.1986 के कार्यालय ज्ञापन सं. ।।/12013/2/85-राजभाषा (क.2) का अधिक्रमण करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 से नई पुरस्कार योजना शुरु की जाती है जिसका नाम ''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'' है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित को पुरस्कृत किया जाएगा:-

(क) मंत्रालय/ विभाग

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

(ग) बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट आदि

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंक

(ङ) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

(च) हिन्दी गृह पत्रिका

2. राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले उपरोक्त कार्यालयों/ संस्थानों को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा । प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रथम, दितीय एवं तृतीय पुरस्कार शील्ड के रूप में दिए जाएंगे । पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जायेगा । पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा । इसके अंतर्गत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निम्नानुसार पुरस्कार दिए जायेंगे ।

श्रेणी	विवरण	पुरस्कार
मंत्रालय/विभाग	300 से कम स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय 300 से अधिक स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय	03 शील्डें 03 शील्डें
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	क क्षेत्र में स्थित उपक्रम ख क्षेत्र में स्थित उपक्रम ग क्षेत्र में स्थित उपक्रम	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें
बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि	क क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ख क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ग क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें
राष्ट्रीयकृत बैंक	क , ख तथा ग क्षेत्र के किए प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	क, ख तथा ग क्षेत्र में स्थित एक-एक न.रा.का.स. को	03 शील्डें
हिन्दी गृह पत्रिका	क, ख तथा ग क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्पति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पूनम जुनेजा
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 25th March 2015

RESOLUTION

No. 11034/48/2014-OL (Policy): A new award scheme named 'Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojana' from the financial year 2015-16 has been introduced by the Department, with an objective to encourage writing books originally in Hindi in various streams of modern knowledge/science and to promote official language, in supersession of earlier Resolution No. 11/12013/2/85-OL(A 2), dated the 30th July, 1986; No. 11/12013/1/2000-OL(Policy 2), dated the 8th August, 2005 and Office Memorandum no. 11014/12/2013-OL(P), dated the 2nd May, 2013 (for excellent articles). The award schemes are as follows: -

(A) Rajbhasha Gaurav Puraskar to Citizens of India for writing original book in Hindi on knowledge and science based subjects.

(B) Rajbhasha Gaurav Puraskar to Central Government Employees (including retired one) for writing original book in Hindi.

(C) Rajbhasha Gaurav Puraskar to Central Government Employees (including retired one) for writing excellent article in Hindi.

(A) Rajbhasha Gaurav Puraskar Scheme for Citizens of India for writing original book in Hindi on knowledge and science based subjects.

1. Name : The name of this regulation shall be Rajbhasha Gaurav Puraskar Scheme for writing original book in Hindi on knowledge and science based subjects.

2. Definitions: In this Regulation, unless the context otherwise requires-

I. "Scheme" means "The award scheme of Department of Official Language for encouraging writing original book in Hindi on various technical/scientific subjects".

II. "Original" means "It should be originally written in Hindi and published for the first time. Translation of books published earlier will not be included in the scheme".

III. "Book" means "published books".

IV. "Year" means: (i) Scheme year means - Financial year (ii) Publication year means - Calendar Year.

3. Objectives : Various Offices/Undertakings/Banks etc. of Central Government also deal with technical subjects in their official work. Difficulty is being faced to increase the use of Hindi in the field of knowledge/science based subjects in the official work due to scarcity of books in Hindi on technical subjects. Employees also do face difficulties in doing their official work in Hindi in these subjects as they are not acquainted with Hindi terminologies of knowledge/science based subjects. The main reason behind this is that there is scarcity of books on the subjects relating to knowledge/science. The Department of Official Language is undertaking this scheme with the sole objective to encourage writing book in Hindi in this field.

4. Awards:

First Prize (One) -	Rs. 2,00,000/- (Two lakh rupees) A certificate and a Memento
Second Prize (One) -	Rs. 1,25,000/- (One lakh twenty five thousand rupees) A certificate and a Memento
Third Prize (One) -	Rs. 75,000/- (Seventy five thousand rupees) A certificate and a Memento
Consolation Prize (Ten) -	Rs. 10,000/- (Ten Thousand Rupees) A certificate and a Memento to each.

5. Eligibility:

(1) The author should be a citizen of India.

(2) The book may be on various streams of modern technology/Science,

For example-

I. Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology Management, Psychology etc.

II. Contemporary subjects such as Liberalisation, Globalisation, Consumerism, Human Rights, and Pollution etc.

6. General Conditions:

(i) Entry can be sent for only one of the above mentioned schemes. In case of Author being more than one, each co-author must fill the proforma separately.

(ii) Under the scheme only those books, which are original work of the author in Hindi, are accepted. Translated books are not accepted.

(iii) Books awarded previously by any government organisation will not become eligible. The author of the book must inform Department of Official Language immediately if the book is awarded under any other award scheme before the declaration of the awards under the above mentioned schemes.

(iv) Under the scheme, books published during 1st January to 31st December are acceptable.

(v) The book should be an analytical review of the subject it deals with. Books written in the form of thesis for Ph.D., poems, novel, story, play etc. or text books will not become eligible.

(vi) The author will be responsible for facts and figures given in the book and must give references where ever possible as proof.

(vii) If a person has received a prize under any scheme of Department of Official Language during the preceding three years, his/her entry shall not be considered. However, a co-author, (if any) can participate in the scheme. The co-author will be given the amount proportionally.

(viii) The books should contain at least 100 pages.

(ix) If the Evaluation Committee arrives at a conclusion that none of the books, sent as entries, is suitable for the award, the committees' decision in this regard will be considered as final.

(x) In case, a book selected for the award has more than one author, award money will be divided equally among them.

7. Procedure for sending the entries:

(i) The entry should be sent along with the proforma given at Annexure, otherwise the same would not be accepted.

(ii) Kindly send three copies of the book invariably with each entry. The books will not be returned.

(iii) Entry filled in prescribed proforma must reach the Department before the last date so declared.

(iv) An author may send only one entry in a scheme.

8. Evaluation procedure of Books:

Books will be evaluated by a committee constituted by Department of Official Language based on the criteria set by Department of Official Language. Joint Secretary, Department of Official Language will be Chairperson of the committee. If necessary, Committee may include non-official renowned scholars/experts along with official members. The Committee will comprise of the following: -

A.	Joint Secretary, Department of Official Language	- Chairperson
B.	Two non- official persons, who will be nominated by The Department of Official Language every year	- Member
C.	Director/Deputy Director (Implementation), Department of Official Language	- Member-Secretary

(1) The next of kin of the authors, who are sending their entries, will not be included in the Evaluation Committee.

(2) The Evaluation Committee shall have the right to take advice from specialists/experts of the subject before deciding on a book.

(3) The evaluation committee will determine the assessment criteria themselves.

(4) In the absence of consensus about the award the decision will be made by majority. In cases, where on any decision, the for and against votes are equal, then the Chairman shall have the right to vote to arrive at a decision.

(5) The official members of the Evaluation Committee will get TA/DA from the source, from where they get their salaries. The non-governmental members will be entitled to travelling allowance and daily allowance as per instructions issued by the Government from time to time and applicable during the period.

(6) The experts of the Evaluation Committee will be entitled to honorarium as determined by Department of Official Language.

(7) The Department of Official Language will take decision on recommendations made by the Evaluation Committee.

9. Declaration and distribution of awards:

(i) Decision regarding the award will be intimated through a letter to all the awardees and will also be placed on the Department's Website.

(ii) The distribution of the Awards will be held on the date fixed by the Department of Official Language.

10. General information:

(i) Copyright on the award-winning book will remain with the Authors/Publishers.

(ii) Awardees coming from places other than the place fixed for distribution of award will get to and fro 2nd AC fare and daily allowance as per rules of the Government of India. Arrangement for lodging will be made by him/her at his/her own expenses.

(iii) No correspondence regarding conferment of the award or procedure for selection of a book for the award will be entertained.

11. Right to relax the scheme:

If it is necessary or expedient in the opinion of the Central Government to do so, documenting the reason for it, any of the provisions of these regulations may be relaxed by issuing an order.

Annexure

PROFORMA

RAJBHASHA GAURAV PURASKAR FOR CITIZENS OF INDIA FOR WRITING ORIGINAL BOOK ON KNOWLEDGE/SCIENCE BASED SUBJECTS IN HINDI – YEAR…….

1. Name of the Award Scheme .....

2. Title of the book .....

3. (i) Name of the Author/Co-author .....

(ii) Full Address (with Pin code) .....

.....

.....

(iii) Telephone No. ..... Fax No. .....

(iv) Mobile No. .....

(v) e-mail .....

4. (i) Name of the publisher .....

(ii) Full Address of the publisher .....

(iii) Year of publishing .....

5. Had the book been awarded by any Government organisation previously ? : Yes/No. If yes, please give full details hereof …….....

. .....

6. I certify that

(i) I ..... son/daughter of .....am a citizen of India.

(ii) The book has been written originally in Hindi by me.

(ii) The copyright of any other person is not violated on entering my book in this scheme and I am responsible for the facts and figures given in the book.

I promise to abide by the provisions of the regulations of the Award Scheme for writing original book in Hindi on knowledge-science based subject.

Place: .....

Date: ..... Signature of Author/Co-author.....

Note 1 : Strike off whichever is not applicable.

Note 2 : In case of Authors being more than one, each co-author shall fill the above proforma separately.

(B) Rajbhasha Gaurav Puraskar for Central Government Employees (including retired one) for writing original book in Hindi.

Rajbhasha Gaurav Puraskar is introduced from the financial year 2015-16 to encourage Central Government employees or retired employees for writing original book in Hindi under which following prizes will be awarded -

First Prize -	Rs. 1,00,000/- (One lakh rupees) A certificate and a Memento
Second Prize -	Rs. 75,000/- (Seventy-five thousand rupees) A certificate and a Memento
Third Prize -	Rs. 60,000/- (Sixty thousand rupees) A certificate and a Memento
Consolation Prize -	Rs. 30,000/- (Thirty thousand rupees) A certificate and a Memento

1. Definitions: In this Regulation, unless the context otherwise requires-

   I "Scheme" means Rajbhasha Gaurav Puraskar Scheme for Central Government Employees (including retired one) for writing original book in Hindi.

   II "Book" means published book.

   III "Year" means: (i) Scheme year means - Financial year (ii) Publication year means- Calendar Year.

2. Objectives : The objective of this scheme is to encourage Central Government Employees (including retired) for writing original book in Hindi.

3. Eligibility:

   (i) The author must be a working/retired officer/employee of the Ministries/Departments/ Attached/Subordinate offices, Public Sector Undertakings, Nationalised Banks/Financial Institutions and Autonomous Bodies, Central Universities/Training Institutes owned or controlled by the central government.

   (ii) Author should send his/her entry with the attestation and recommendations of the Head of Department/ previous department.

4. General Conditions:

   (i) Entry can be sent for only one of the above mentioned schemes. In case of Author being more than one, each co-author must fill the proforma separately.

   (ii) Under the scheme only those books, which are original works in Hindi by the author, are accepted. Translated books are not accepted.

   (iii) Books awarded previously by any government organisation will not be eligible. The author of the book must inform Department of Official Language immediately if the book is warded under any other award scheme before the declaration of awards under the above mentioned schemes.

   (iv) Under the scheme, books published during 1st January to 31st December are accepted.

   (v) The book should be an analytical review of the subject it deals with. Books written in the form of thesis for Ph.D., poems, novel, story, play etc. or text books are not eligible.

   (vi) The author will be responsible for facts and figures given in the book and must give references where ever possible as proof.

(vii) If a person has received a prize under any scheme of Department of Official Language during the preceding three years, his/her books shall not be considered. However, a co-author, (if any) can participate in the scheme.

(viii) The books should contain at least 100 pages.

(ix) If the Evaluation Committee arrives at the conclusion that none of the books, sent as entries, is suitable for the award, its decision in this regard will be considered as final.

(x) In case, a book selected for the award has more than one author, award money will be divided equally among them.

5. Procedure for sending the entries:

(i) The entry should be along with proforma given at Annexure, otherwise the same would not be accepted.

(ii) Three copies of the book are sent invariably with each entry. The books will not be returned.

(iii) Entry filled in prescribed proforma must reach before last date so declared.

(iv) An author may send only one entry in a scheme.

6. Evaluation procedure of books:

Books will be evaluated by a committee of available renowned scholars/experts based on the criteria set by Department of Official Language. The Committee will comprise of the following: -

A.	Joint Secretary, Department of Official Language	-	Chairperson
B.	Two non- official persons who will be nominated by Department of Official Language every year	-	Member
C.	Director/Deputy Director (Implementation), Department of Official Language	-	Member-Secretary

(i) The next of kin of the authors who are sending their entries will not be included in the Evaluation Committee.

(ii) The Evaluation Committee shall have the right to take advice from specialists/experts of the subject before deciding on a book.

(iii) The Evaluation Committee will determine the evaluation criteria themselves. The decision of the Evaluation Committee will be final.

(iv) In the absence of consensus about the award the decision will be made by majority. In cases, where on any decision, the for and against votes are equal, then the Chairman shall have the right to vote to arrive at a decision.

(v) The official members of the Evaluation Committee will get TA/DA from the source, from where they get their salaries. The non-governmental member will be entitled to travelling allowance and daily allowance as per instructions issued by the Government from time to time and applicable during the period.

(vi) The experts of Evaluation Committee will be entitled to honorarium determined by Department of Official Language.

7. Declaration and distribution of awards:

(i) Decision regarding the award will be intimated through a letter to all the awardees and will also be placed on the Department's Website.

(ii) The distribution of the Awards will be held on the date fixed by the Department of Official Language.

8. General information:

(i) Copyright on the award-winning book will remain with the Authors/Publishers.

(ii) Awardees coming from places other than the place fixed for distribution of award will get to and fro 2nd AC fare and daily allowance as per rules of the Government of India. Arrangement for lodging will be made by him/her at his/her own expenses.

(iii) No correspondence regarding conferment of the award or procedure for selection of a book for the award will be entertained.

9. Right to relax the scheme:

If it is necessary or expedient in the opinion of the Central Government to do so, documenting the reason for it, any of the provisions of these regulations may be relaxed by issuing an order. 12

Annexure

PROFORMA

RAJBHASHA GAURAV PURASKAR FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES (INCLUDING RETIRED) FOR WRITING ORIGINAL BOOK IN HINDI – YEAR……

1. Name of the Award Scheme .....

2. Title of the book .....

3. (i) Name of the Author/Co-author .....

(ii) Full Address (with Pin code) .....

.....

.....

(iii) Telephone No. ..... Fax No. .....

(iv) Mobile No. .....

(v) e-mail .....

4. (i) Name of the publisher .....

(ii) Full Address of the publisher .....

(iii) Year of publishing .....

5. Had the book been awarded by any Government organisation previously? : Yes/No. If yes, please give full details thereof

…….....

.....

6. I clarify that

(i) I ..... son/daughter of ..... am a citizen of India.

(ii) I am working in/retired from the office ..... of central government or under the central government (applicable only for Rajbhasha Gaurav Puraskar)

(iii) The book has been written originally in Hindi by me.

(iv) The copyright of any other person is not violated on entering my book in this scheme and I am responsible for the facts and figures given in the book.

I promise to abide by the provisions of the regulations of the Award Scheme for original book writing on knowledge-science in Hindi.

Place: .....

Date: ..... Signature of Author/Co-author.....

Note 1: Strike off whichever is not applicable.

Note 2: In case of Authors being more than one, each co-author shall fill the above proforma separately.

(C) Rajbhasha Gaurav Puraskar for Central Government Employees (including retired) for writing excellent article in Hindi.

A new award scheme named 'Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojana' has been introduced for Central Government Officers/Employees for their excellent Hindi articles published in journals and magazines for financial year 2015-16 in supersession of earlier award scheme started in 2013-14 vide Office Memorandum No. 11014/12/2013-OL(A), dated the 2nd May 2013. The following six prizes will be awarded under the Scheme:-

	Hindi Speaking	Non-Hindi Speaking
First-	Rs. 20,000/-(Twenty thousand rupees)	Rs. 25,000/-(Twenty five thousand rupees)
Second-	Rs. 18,000/-(Eighteen thousand rupees)	Rs. 22,000/-(Twenty two thousand rupees)
Third-	Rs. 15,000/-(Fifteen thousand rupees)	Rs. 20,000/-(Twenty thousand rupees)

Eligibility:

(A) All employed or retired employees of the Central Government.

(B) The article should be published in Departmental or any other journals-magazines during the financial year.

(C) Ministry on its own level can add any articles published in Journal by employees of its subordinate office for the financial year.

(D) Hindi speaking writer are those officials/employees whose declared residence is located in 'A' or 'B' Region.

(E) Non-Hindi speaking writer are those officials/employees whose declared residence is located in 'C' Region.

(F) Awardees coming from places other than the place fixed for distribution of award will get to and fro 2nd AC fare and daily allowance as per rules of the Government of India. Arrangement for lodging to be made at own expenses.

Evaluation process:

Each Ministry/Department will select three articles at their level. For the selection of the article a committee should be constituted under the chairmanship of Joint Secretary-Incharge of Hindi. Ministry/Department will send the selected articles with details duly filled in the proforma to the Department of Official Language. The Department of Official Language will evaluate these articles received from Ministries by the Evaluation Committee and select them for three prizes - first, second and third. The appropriate entries about the winner of the award should be made in the Service Book of concerned officer/employee.

Proforma

Name	Designation	Address of the Office	Subject of the article	Contact details: Phone, Mobile, e-mail etc.

ORDER

IT IS HERE BY ORDERED that a copy of this resolution should be communicated to the Secretariat to all the State Governments, UT Administrations, all Ministries/Departments, Presidential Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, NITI Aayog, The Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

It is also ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for public information.

POONAM JUNEJA
Joint Secretary

RESOLUTION

No.11034/48/2014-OL(Policy):To encourage the implementation of the Official Language Policy the Department has introduced a new award scheme named "Rajbhasha Kirti Puraskar" from the financial Year 2015-16 in supersession of earlier Office Memorandum dated 30/07/1986 No. II/12013/2/85-Rajbhasha (A.2). The following will be rewarded under the scheme -

(A) Ministries/Departments

(B) Public Sector Undertakings

(C) Boards/Autonomous Bodies/trusts etc.

(D) Nationalized Banks

(E) Town Official Language Implementation Committees

(F) Inhouse Hindi Magazines

2. As a result of implementation of Official Language Policy in the best manner possible the above offices/institutions will be honoured with shields for doing outstanding work in promoting the progressive use of Official Language. For each region, the first, second and third prizes will be given as a shield. The decision of award will be based on quarterly progress reports regarding the implementation of the official language policy. The evaluation of awards will be done by a committee formed with the approval of the Secretary, Department of Official Language in which non-governmental members will also be included. The following awards will be conferred at the Hindi Day celebrations.

Category	Description	Prize
Ministries/Departments	Ministries where number of staff is less than 300	03 Shields
	Ministries where number of staff is more than 300	03 Shields
Public Sector Undertakings	Undertakings in 'A' Region	03 Shields
	Undertakings in 'B' Region	03 Shields
	Undertakings in 'C' Region	03 Shields
Boards/Autonomous Bodies/trusts etc.	Boards etc. in 'A' Region	03 Shields
	Boards etc. in 'B' Region	03 Shields
	Boards etc. in 'C' Region	03 Shields
Nationalized Banks	First and Second prize for Region 'A', 'B' and 'C'	03 Shields
Town Official Language Implementation Committees	One TOLIC in each 'A', 'B' and 'C' Region	03 Shields
Inhouse Hindi Magazine	First and Second Prize in each 'A','B' and 'C' Region	06 Shield

ORDER

IT IS HERE BY ORDERED that a copy of this resolution should be communicated to the Secretariat to all the State Governments, UT Administrations, all Ministries/Departments, Presidential Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, NITI Aaayog, The Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

It is also ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for public information.

POONAM JUNEJA
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I–SEC.1]—90 Copies